



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15984

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1706/2026

अजमत अली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: पूजा सिंह, राजेश यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. सूची संशोधित की गई। संशोधित सूची में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह उपस्थित हैं।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लेबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से व्यथा होती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत उप-जिलाधिकारी, दुधौ, सोनभद्र/प्रतिवादी संख्या 2 को वाद संख्या टी201816160200370 को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को निस्तारित करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन दिए बिना शीघ्रता से निर्णीत करे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"